

(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 15/2024

दायर दिनांक 08.02.2024

उनयान

1. गोपाल पिता घुला जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिड़ावा

- वादी

बनाम

1. श्यामसुन्दर पिता घुला जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिड़ावा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक-

अभिभाषक वादी - श्री नीलकमल त्रिवेदी

प्रतिवादी सं. 1 - एकतरफा

प्रतिवादी सं. 2 - परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 16.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम धरोनिया तहसील पिड़ावा की खाता संख्या 645 का खसरा नं. 2104/883 रकबा 0.2276 है० के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.07.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार पिड़ावा द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/550 दिनांक 14.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी की सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

✓

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



5

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम धरोनिया तहसील पिडावा की खाता संख्या 645 का खसरा नं. 2104/883 रकबा 0.2276 है0 भूमि में तहसीलदार पिडावा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	गोपाल पिता धुला जाति कुल्मी नि. धरोनिया रहन BRKGB पिडावा	2104/883/1	0.1328	बारानी दायम
2	श्यामसुन्दर पिता घुला जाति कुल्मी नि. धरोनिया रहन PNB कोटडी	2104/883/2	0.0948	बारानी दायम

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़ राज0
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

6

फाईनल डिक्री मुकदमा इत्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 15/2024

दायर दिनांक 06.02.2024

उनवान

1. गोपाल पिता धुला जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिड़ावा

– वादी

बनाम

1. श्यामसुन्दर पिता घुला जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिड़ावा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक–

अभिभाषक वादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

प्रतिवादी सं. 1 – एकतरफा

प्रतिवादी सं. 2 – परोकार सरकार

मिनजानित मुदई रूबरूX.....मिनजाबिन

मुदालयहहुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि – इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम धरोनिया तहसील पिड़ावा की खाता संख्या 645 का खसरा नं. 2104/883 रकबा 0.2276 है0 भूमि में तहसीलदार पिड़ावा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	गोपाल पिता धुला जाति कुल्मी नि. धरोनिया रहन BRKGB पिड़ावा	2104/883/1	0.1328	बारानी दायम
2	श्यामसुन्दर पिता घुला जाति कुल्मी नि. धरोनिया रहन PNB कोटडी	2104/883/2	0.0948	बारानी दायम


तहसीलदार पिड़ावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



(दिनेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)




निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ..
 ...X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा
 करुंगा।
 भैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.09.2025 को जारी किया
 गया।


 उपखण्ड अधिकांसी पिडावा
 जिला झालावाड राज०
 पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमि नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत०
महन्ताना वकील	मुत०	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान




 उपखण्ड अधिकांसी पिडावा
 जिला झालावाड राज०
 पिडावा, जिला झालावाड (राज०)